Hindi Update on MEIS Scheme

गवर्नमेंट ने एक्सपोर्ट को बढ़ावा देने के लिए एक्सपोर्टर्स को कई तरह की सुविधाएं और लाभ दिए हैं। ये सुविधाएँ और लाभ दोनों प्रकार के एक्सपोर्टर्स को दिए गए हैं वो एक्सपोर्टर जो सर्विस एक्सपोर्टर्स है और वो भी जो गुड्स के एक्सपोर्टर्स हैं। सर्विस के एक्सपोर्टर्स पर मिलने वाले बेनिफिट की चर्चा हमने पहले वाले अपडेट में आपको दी थी। इस अपडेट में हम गुड्स पर मिलने वाले बेनिफिट पर चर्चा करेंगे।

गवर्नमेंट ने गुड्स के लिए Merchandise Exporters from India (MEIS)स्कीम प्रस्तुत की है। ये स्कीम पहले जो एक्सपोर्टर्स को लाभान्वित करने वाली ५ स्कीमस थी उन को बदल कर कर एक सिंगल स्कीम एक्सपोर्टर्स प्रस्तुत की। जो ५ स्कीम पहले थी वो इस प्रकार है

१। फोकस प्रोडक्ट स्कीम (FPS)

२। फोकस मार्किट स्कीम (FMS)

३। मार्किट लिंक्ड फोकस प्रोडक्ट स्कीम (MLFPS)

४। एग्री। इंफ्रास्ट्रक्चर इंसेंटिव स्कीम

५। विशेष कृषि ग्रामीण उपज योजना (VKGUY)

वर्तमान एफ़टीपी के अनुसार, MEIS योजना का उद्देश्य केवल इन पाँच योजनाओं को प्रतिस्थापित करना नहीं है, बल्कि इनका उद्देश्य प्रोत्साहन को युक्तिसंगत बनाना है और विभिन्न प्रतिबंधों को हटाकर उनके दायरे को बढ़ाना है।

विदेशी बाज़ारों में भारत के उत्पादों को और अधिक प्रतिस्पर्धी बनाने के उद्देश्य से, यह योजना निर्यातक को ड्यूटी क्रेडिट स्क्रिप के रूप में मिलती है। इसका उपयोग निर्यातक ड्यूटी के भुगतान के लिए भी कर सकता है और इस स्क्रिप को वह मार्किट में बेच भी सकता हैं। MEIS वास्तविक एफओबी मूल्य (मुक्त विदेशी मुद्रा में) के प्रतिशत के रूप में भुगतान किया जाता है। इस incentive की मात्रा निर्धारित करने के लिए, देशों को तीन समूहों में अलग किया गया है। तीनो देशों के समूह को मिलने वाला incentive अलग अलग है।

अनिवार्य रूप से तीन देश समूह हैं। ग्रुप ए में भारत के पारंपरिक गंतव्य जैसे यूरोपीय संघ के देश और यूएसए हैं। ग्रुप बी में देशों की अधिकतम संख्या है और यह विश्व भर में भारत के प्रमुख निर्यात स्थलों में शामिल है। यहां यह उल्लेखनीय है कि ग्रुप बी में प्रोत्साहन की मात्रा सबसे अधिक है। दूसरी ओर ग्रुप सी में कोई प्रोत्साहन नहीं है। इसे सार्क, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड, कुछ यूरोपीय संघ और अफ्रीकी देशों में विभाजित किया जा सकता है।

अभी सेंट्रल गवर्नमेंट ने foreign trade policy में कई परिवर्तन किये है इसमें MEIS से सम्भंधित भी कुछ बदलाव है जो निम्न प्रकार है।

जहां शिपिंग बिल की LET एक्सपोर्ट की तारीख 01।02।2019 से 31।05।2019 के बीच आती है तो इस स्तिथि में MEIS की एप्लीकेशन करने के लिया गवर्नमंट ने 15 महीने का समय दिया है।

This is solely for educational purpose.

You can reach us at www.capradeepjain.com, at our facebook page on https://www.facebook.com/GSTTODAYBYPRADEEPJAIN/as well as follow us on twitter at https://www.twitter.com/@capradeepjain21.